प्र0कं0866 / 2014 ई0फौ0

01-2017

राज्य द्वारा ए डी पी ओ श्री कटारे उपस्थित।

अभियुक्त कं01 तेज सिंह पुत्र पुतई साल शाक्य उम्र 39 साल निवासी— पुरानी वस्ती भिण्ड, अभियुक्त कं02 छोटू शाक्य पुत्र गंगा सिंह शाक्य उम्र 35 साल निवासी— पुरानी वस्ती भिण्ड म०प्र० अनुपस्थित।

उक्त अभियुक्त की उपस्थित हेतु नियत है।

पूर्व आदेश के पालन में अभियुक्त कं01 तेज सिंह पुत्र पुतई साल शाक्य उम्र 39 साल निवासी— पुरानी वस्ती भिण्ड, अभियुक्त कं02 छोटू शाक्य पुत्र गंगा सिंह शाक्य उम्र 35 साल निवासी— पुरानी वस्ती भिण्ड म0प्र0 को जारी गिरफ्तारी वारंट वाद या अदम वापस प्राप्त नही।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण उक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 11.07.2014 को चालान पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं दिनांक 12.12.2014 से ही अभियुक्तगण की उसकी उपस्थित बाबत् लंबित है। तत्पश्चात् उनके विरूद्ध निरंतर वारंट जारी किये गये किन्तु अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थित सुनिश्चित नहीं करायी गई।

प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण को निरंतर वारंट जारी किये गये किन्तु अभियोजन द्वारा उक्त अभियुक्त की उपस्थित सुनिश्चित नहीं कराई गई और वह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, निरंतर अभियुक्त अनुपस्थित है और उसके विरूद्ध कई वारंट जारी किये गये।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियुक्त / गण अपनी उपस्थिति छिपा रहा है। उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त कं01 तेज सिंह पुत्र पुतई साल शाक्य उम्र 39 साल निवासी— पुरानी वस्ती भिण्ड, अभियुक्त कं02 छोटू शाक्य पुत्र गंगा सिंह शाक्य उम्र 35 साल निवासी— पुरानी वस्ती भिण्ड म0प्र0 के विरुद्ध धारा 299 द0प्र0स0 के तहत कार्यवाही कर उसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया जाता हैं।

प्रकरण पर लाल स्थिाही से टीप अंकित की जावे कि प्रकरण के। नष्ट न किया जावे अभियुक्तगण फरार घोषित किया जा चुका है।

प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखार में जमा हो।

डी आर दुबेला सी जे एम भिण्ड म0प्र0